भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 734
दिनांक 23 जुलाई, 2026

पीएमयूवाई का कार्यान्वयन

†734. **श्री राहुल गांधीः**

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2020 से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के अंतर्गत सक्रिय एलपीजी कनेक्शन का राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2020 से एक भी एलपीजी रिफिल न लेने वाले, चार या उससे कम रिफिल लेने वाले, और चार से अधिक रिफिल लेने वाले पीएमयूवाई लाभार्थियों की राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार और वर्षवार संख्या कितनी है;

(ग) पीएमयूवाई के अंतर्गत सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की संख्या नौ से घटाकर चार किए जाने से अपेक्षित वार्षिक बचत कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के बीच सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की संख्या नौ से चार किए जाने से पहले गरीब परिवारों पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई आकलन किया था, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने इस बात का कोई आकलन किया है कि पीएमयूवाई लाभार्थी परिवार अभी भी जलाऊ लकड़ी, गोबर के उपले या खाना पकाने के अन्य पारंपरिक ईंधन पर कितना निर्भर है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके निष्कर्ष क्या हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) मई 2016 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य देशभर के गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को बिना जमानत राशि के एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना था। 01.07.2026 तक देशभर में लगभग 10.58 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन थे। इस योजना के तहत जारी किए गए सभी पीएमयूवाई कनेक्शन अभी भी सक्रिय लाभार्थी हैं। 2020 से जारी किए गए पीएमयूवाई कनेक्शनों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार और वर्षवार विवरण अनुलग्नक-क में दिया गया है।

(ख) वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पीएमयूवाई लाभार्थियों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार संख्या, जिन्होंने कोई रिफिल नहीं लिया है, पीएमयूवाई लाभार्थियों की संख्या, जिन्होंने 1 से 4 रिफिल लिए हैं और पीएमयूवाई लाभार्थियों की संख्या, जिन्होंने चार से अधिक रिफिल लिए हैं, का विवरण अनुलग्नक-ख में दिया गया है।

(ग) पश्चिम एशिया संकट की शुरुआत के साथ, अप्रैल और मई 2026 में औसत सऊदी सीपी (एलपीजी मूल्य निर्धारण के लिए अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क) बढ़कर 780 अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन हो गया। जून 2026 में, जैसे ही सऊदी सीपी बढ़कर 796 अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन (प्रीमियम को छोड़कर) हो गया, तो 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर का बाजार निर्धारित मूल्य (एमडीपी) बढ़कर 1,695 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर हो गया।

जून 2026 में घरेलू एलपीजी का खुदरा विक्रय मूल्य 942 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर स्थिर रहा, जिस पर 700 रुपए से अधिक की निहित राजसहायता (अल्प वसूली) लागू है। जुलाई 2026 में भी, प्रत्येक 14.2 किलोग्राम घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर निहित राजसहायता 500 रुपए से अधिक है। 10.5 करोड़ से अधिक पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए, 500 रुपए से अधिक की निहित राजसहायता के अतिरिक्त, 300 रुपए की लक्षित राजसहायता के बाद प्रभावी मूल्य केवल 642 रुपए प्रति सिलेंडर (दिल्ली) है। पीएमयूवाई परिवारों के लिए लक्षित राजसहायता के पात्र रिफिलों की संख्या में कमी के बावजूद, जुलाई 2026 के दौरान सभी उपभोक्ता 500 रुपए से अधिक की निहित राजसहायता (अल्प वसूली) का लाभ उठाते रहे।

(घ) वित्त वर्ष 2025-26 के रिफिल खपत आंकड़ों के आकलन के आधार पर यह पाया गया है कि पीएमयूवाई लाभार्थी परिवारों में रिफिल खपत के पैटर्न में भिन्नता है, और लाभार्थियों का एक बड़ा हिस्सा प्रतिवर्ष चार तक राजसहायता वाले रिफिल का लाभ उठाता है। आकलन से यह भी पता चलता है कि पीएमयूवाई के तहत लक्षित राजसहायता ढांचे ने स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन के रूप में एलपीजी को निरंतर अपनाने और नियमित उपयोग को बढ़ावा दिया है। वित्त वर्ष 2025-26 में पीएमयूवाई लाभार्थियों के बीच प्रति उपभोक्ता खपत (पीसीसी) 4.71 सिलेंडर प्रति वर्ष है।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान रिफिल के औसत को देखते हुए, पीएमयूवाई लाभार्थी परिवारों को वहनीयता बनाए रखने में सहायता प्रदान करने के साथ-साथ लक्षित राजसहायता प्रदान करना, प्रतिवर्ष अधिकतम चार रिफिल तक के लिए उपयुक्त माना गया है। इससे लक्ष्य की दक्षता में सुधार होगा और राजसहायता व्यय का विवेकपूर्ण युक्तिकरण सुनिश्चित होगा। प्रस्तावित युक्तिकरण केवल लक्षित राजसहायता के लिए पात्र रिफिलों की संख्या से संबंधित है और बाजार मूल्य पर अतिरिक्त एलपीजी रिफिल खरीदने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है, जिस पर वर्तमान आरएसपी पर भारी राजसहायता दी जाती है।

(ङ) पीएमयूवाई ने ग्रामीण परिवारों, विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं और परिवारों के जीवन पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव डाला है। इसमें लकड़ी, गोबर और फसल अवशेष जैसे ठोस ईंधन जलाने वाली पारंपरिक खाना पकाने की विधियों से बदलाव शामिल है। स्वच्छ ईंधन के उपयोग से घर के अंदर वायु प्रदूषण कम होता है, जिससे श्वसन स्वास्थ्य में सुधार होता है, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों में, जो पारंपरिक रूप से घरेलू धुएं के अधिक संपर्क में आते हैं।

भारतीय घरों में खाना पकाने के लिए कई ईंधनों का उपयोग किया जाता है, जिसे आमतौर पर ईंधन संचयन कहा जाता है। घरों में एलपीजी के उपयोग की मात्रा खाना पकाने की पसंद, स्वाद, मौसम, व्यंजन के प्रकार, भोजन के स्वाद, परंपराओं, लागत आदि जैसे विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है।

नीति आयोग द्वारा अप्रैल 2026 में जारी पीएमयूवाई मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, 86.59% पीएमयूवाई परिवारों में एलपीजी का उपयोग मुख्य रूप से खाना पकाने के ईंधन के रूप में किया जाता है, जो स्वच्छ ऊर्जा के व्यापक उपयोग को दर्शाता है। मूल्यांकन में यह भी पाया गया कि सर्वेक्षण में शामिल 74.27% पीएमयूवाई लाभार्थियों ने एलपीजी अपनाने के बाद घर के अंदर वायु प्रदूषण में कमी महसूस की। इसके अलावा, लाभार्थियों के एक महत्वपूर्ण हिस्से ने खांसी और सांस फूलने में कमी, आंखों में जलन और धुएं के कारण होने वाली परेशानी में कमी, साथ ही सिरदर्द और चक्कर आने में कमी की सूचना दी, जो एलपीजी के उपयोग से जुड़े सकारात्मक स्वास्थ्य लाभों को उजागर करता है।

ऐसा बताया गया है कि लाभार्थी त्योहारों, शादियों और बड़े आयोजनों के लिए एलपीजी को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि यह त्वरित, स्वच्छ और सुविधाजनक है। कई लोग आज भी कुछ व्यंजनों के लिए, मुख्य रूप से परंपरा या स्वाद संबंधी प्राथमिकताओं के कारण, लकड़ी या गोबर के उपले रखते हैं।

ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टीईआरई) और आईआईटी कानपुर द्वारा किए गए अलग-अलग मूल्यांकन अध्ययनों ने भी पीएमयूवाई के सकारात्मक पर्यावरणीय और स्वास्थ्य प्रभावों को उजागर किया है। उनके निष्कर्षों से पता चलता है कि पीएमयूवाई ने परिवेशीय और घरेलू वायु प्रदूषण दोनों को कम करने में योगदान दिया है। आईआईटी कानपुर द्वारा छह राज्यों में किए गए मूल्यांकन में यह भी पाया गया कि खाना पकाने के समय एलपीजी का उपयोग करने वाले घरों में पारंपरिक चूल्हे पर निर्भर घरों की तुलना में घर के अंदर की वायु गुणवत्ता लगभग दोगुनी बेहतर थी, जो विशेष रूप से मुख्य रसोइयों के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभों को दर्शाती है।

अनुलग्नक क

'पीएमयूवाई का कार्यान्वयन' के संबंध में श्री राहुल गांधी द्वारा दिनांक 23.07.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 734 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

2020 से पीएमयूवाई के तहत राज्यवार एलपीजी कनेक्शन की जानकारी

राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	दिनांक 01.04.2020 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 01.04.2021 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 01.04.2022 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 01.04.2023 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 01.04.2024 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 01.04.2025 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 01.04.2026 की स्थिति के अनुसार
अंडमान और निकोबार	12,436	12,602	13,403	13,447	13,827	13,822	14,036
आंध्र प्रदेश	3,91,860	3,91,625	4,16,861	5,12,437	9,68,332	973,213	11,38,039
अरुणाचल प्रदेश	44,699	44,670	47,818	49,247	53,789	53,794	55,143
असम	34,84,901	34,74,326	39,79,854	44,14,806	50,92,071	5,097,344	52,55,692
बिहार	85,37,893	85,23,573	1,00,94,557	1,07,33,364	1,16,19,851	11,628,502	1,20,68,090
चंडीगढ़	88	87	92	659	2,025	2,028	2,037
छत्तीसगढ	29,89,440	29,88,523	33,51,181	34,92,221	37,85,197	3,801,362	39,75,756
दादरा नगर-हवेली दमन और दीव	15,174	15,166	15,050	15,033	17,812	17,791	18,923
दिल्ली	76,855	76,190	98,756	1,42,164	2,56,931	259,579	2,89,312
गोवा	1,082	1,081	1,081	1,265	1,956	1,955	2,047
गुजरात	29,01,059	28,99,233	34,38,252	38,43,237	43,04,694	4,308,245	44,02,586
हरियाणा	7,30,928	7,26,751	7,38,980	7,67,322	11,12,992	1,115,081	12,10,694
हिमाचल प्रदेश	1,35,966	1,35,960	1,38,382	1,40,822	1,50,837	150,692	1,52,356
जम्मू और कश्मीर	12,30,997	12,30,134	12,38,847	12,45,438	12,69,743	1,269,651	12.80.546
झारखंड	32,61,556	32,58,502	34,74,963	36,46,220	38,95,366	3,894,458	39,82,619
कर्नाटक	31,46,300	31,43,099	34,66,468	37,57,704	41,48,108	4,146,532	42,38,649
केरल	2,56,302	2,56,136	3,00,498	3,41,187	3,87,761	387,759	3,91,263
लद्दाख	11,083	11,072	11,099	11,090	11,089	11,085	11,081
लक्षद्वीप	290	292	302	309	365	370	370
मध्य प्रदेश	71,54,600	71,43,875	79,38,596	82,27,427	88,32,154	8,846,577	90,44,184
महाराष्ट्र	44,28,682	44,19,772	46,98,339	48,90,055	52,15,785	5,217,287	52,67,753
मणिपुर	1,56,598	1,56,398	1,78,392	2,02,029	2,24,999	224,916	2,29,143
मेघालय	1,50,744	1,50,526	1,73,142	2,14,928	3,16,624	317,155	3,24,210
मिजोरम	28,118	28,122	29,645	33,595	36,031	36,006	38,399
नागालैंड	55,140	54,096	77,111	91,807	1,22,199	122,138	1,32,287
ओडिशा	47,40,385	47,36,666	51,88,279	53,19,685	55,47,343	5,549,146	56,52,921
पुडुचेरी	13,577	13,568	14,218	14,833	19,322	19,389	20,448

पंजाब	12,24,218	12,19,883	12,35,939	12,83,976	13,59,705	1,359,256	13,61,521
राजस्थान	63,68,525	63,59,564	66,20,356	69,27,163	73,77,084	7,381,006	75,18,465
सिक्किम	8,752	8,752	12,457	13,795	19,911	19,872	20,093
तमिलनाडु	32,42,217	32,37,695	34,50,256	37,04,058	41,01,978	4,099,805	42,03,106
तेलंगाना	10,72,321	10,71,393	11,11,322	11,52,850	11,85,624	1,184,171	12,35,634
त्रिपुरा	2,71,888	2,71,530	2,71,904	2,83,503	3,15,462	316,411	3,33,618
उत्तर प्रदेश	1,47,56,494	1,47,33,034	1,67,18,454	1,75,03,067	1,85,92,478	18,593,754	1,89,80,268
उत्तराखंड	4,04,566	4,03,234	4,49,877	4,96,450	5,30,167	530,076	5,31,323
पश्चिम बंगाल	88,56,695	88,39,050	1,09,08,400	1,23,72,225	1,23,76,395	12,374,688	1,23,72,634

स्रोत: पीएसयूज़ ओएमसीज़ की ओर से आईओसीएल

अनुलग्नक ख

'पीएमयूवाई का कार्यान्वयन' के संबंध में श्री राहुल गांधी द्वारा दिनांक 23.07.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.734 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

वित्त वर्ष 2020-21

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	उन उपभोक्ताओं की संख्या जिन्होंने कोई रिफिल नहीं लिया	4 या उससे कम रिफिल लेने वाले उपभोक्ताओं की संख्या (शून्य को छोड़कर)	4 से ज़्यादा रिफ़िल लेने वाले उपभोक्ताओं की संख्या
अंडमान और निकोबार	71	5,086	6,935
आंध्र प्रदेश	1,277	1,95,633	1,94,899
अरुणाचल प्रदेश	172	23,732	20,757
असम	61,265	24,61,321	9,44,350
बिहार	84,330	45,42,617	38,66,501
चंडीगढ़	1	21	66
छत्तीसगढ	1,94,774	23,39,491	4,43,548
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	54	9,700	5,420
दिल्ली	1,335	9,078	66,429
गोवा	12	473	597
गुजरात	27,994	14,13,966	14,57,830
हरियाणा	12,057	2,15,908	5,02,927
हिमाचल प्रदेश	170	59,272	76,521
जम्मू और कश्मीर	18,972	9,00,222	3,11,276
झारखंड	39,122	23,94,759	8,22,523
कर्नाटक	9,271	14,16,636	17,12,255
केरल	873	1,16,798	1,38,628
लद्दाख	39	7,347	3,686
लक्षद्वीप	-	232	60
मध्य प्रदेश	77,493	52,43,669	18,32,386
महाराष्ट्र	43,108	22,41,390	21,42,110
मणिपुर	2,282	57,986	96,175
मेघालय	3,537	1,08,994	37,993
मिजोरम	43	6,788	21,290
नागालैंड	248	34,691	20,199
ओडिशा	37,208	31,46,202	15,53,599
पांडिचेरी	9	3,063	11,312
पंजाब	13,409	4,14,912	7,95,217
राजस्थान	56,417	37,35,932	25,72,763
सिक्किम	12	3,745	4,995
तमिलनाडु	21,481	15,48,099	16,69,447
तेलंगाना	3,613	6,67,768	4,00,789
त्रिपुरा	14,775	1,58,316	93,019
उत्तर प्रदेश	2,21,327	74,14,435	71,09,088
उत्तराखंड	4,355	1,64,374	2,35,812
पश्चिम बंगाल	67,010	47,47,417	40,00,409

स्रोत: पीएसयूज़ ओएमसीज़ की ओर से आईओसीएल

निरंतर

वित्त वर्ष 2021-22

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	उन उपभोक्ताओं की संख्या जिन्होंने कोई रिफिल नहीं लिया	4 या उससे कम रिफिल लेने वाले उपभोक्ताओं की संख्या (शून्य को छोड़कर)	4 से ज़्यादा रिफ़िल लेने वाले उपभोक्ताओंकी संख्या
अंडमान और निकोबार	2,630	5,078	5,695
आंध्र प्रदेश	26,590	2,59,260	1,31,011
अरुणाचल प्रदेश	6,683	26,439	14,696
असम	8,78,691	23,36,466	7,64,697
बिहार	7,73,039	63,52,851	29,68,667
चंडीगढ़	12	37	43
छत्तीसगढ	10,88,553	19,43,048	3,19,580
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	184	8,780	6,086
दिल्ली	5,153	38,716	54,887
गोवा	58	530	493
गुजरात	2,54,908	18,64,663	13,18,681
हरियाणा	45,477	2,83,532	4,09,971
हिमाचल प्रदेश	14,824	73,308	50,250
जम्मू और कश्मीर	1,44,314	8,52,934	2,41,599
झारखंड	7,17,244	21,82,644	5,75,075
कर्नाटक	1,64,982	18,69,077	14,32,409
केरल	18,872	1,80,678	1,00,948
लद्दाख	696	7,573	2,830
लक्षद्वीप	24	158	120
मध्य प्रदेश	10,41,218	53,86,911	15,10,467
महाराष्ट्र	2,80,018	27,01,652	17,16,669
मणिपुर	14,971	75,450	87,971
मेघालय	51,504	85,452	36,186
मिजोरम	2,893	9,943	16,809
नागालैंड	14,011	45,128	17,972
ओडिशा	6,61,566	34,68,550	10,58,163
पांडिचेरी	485	4,918	9,627
पंजाब	75,308	5,36,441	6,24,190
राजस्थान	3,37,193	39,62,491	23,20,672
सिक्किम	2,758	6,726	2,973
तमिलनाडु	3,10,944	18,48,157	12,90,343
तेलंगाना	1,04,624	7,08,737	2,97,961
त्रिपुरा	1,00,335	1,05,833	65,736
उत्तर प्रदेश	12,53,376	96,87,963	57,77,115
उत्तराखंड	35,315	2,19,281	1,95,281
पश्चिम बंगाल	9,51,426	73,35,251	26,21,723

स्रोत: पीएसयूज़ ओएमसीज़ की ओर से आईओसीएल

वित्त वर्ष 2022-23

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	उन उपभोक्ताओं की संख्या जिन्होंने कोई रिफिल नहीं लिया	4 या उससे कम रिफिल लेने वाले उपभोक्ताओं की संख्या (शून्य को छोड़कर)	4 से ज़्यादा रिफ़िल लेने वाले उपभोक्ताओंकी संख्या
अंडमान और निकोबार	1,125	6,298	6,024
आंध्र प्रदेश	31,670	3,24,189	1,56,578
अरुणाचल प्रदेश	8,090	24,374	16,783
असम	10,51,029	23,68,761	9,95,016
बिहार	10,70,552	65,93,240	30,69,572
चंडीगढ़	9	505	145
छत्तीसगढ	12,71,260	18,66,328	3,54,633
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	44	8,234	6,755
दिल्ली	5,239	35,011	1,01,914
गोवा	53	751	461
गुजरात	2,44,519	19,47,138	16,51,580
हरियाणा	38,539	2,49,730	4,79,053
हिमाचल प्रदेश	14,522	75,778	50,522
जम्मू और कश्मीर	1,31,341	8,19,789	2,94,308
झारखंड	8,72,565	21,44,070	6,29,585
कर्नाटक	2,01,699	19,01,196	16,54,809
केरल	24,203	1,93,945	1,23,039
लद्दाख	439	6,977	3,674
लक्षद्वीप	26	198	85
मध्य प्रदेश	13,18,596	51,19,230	17,89,601
महाराष्ट्र	2,77,828	26,37,364	19,74,863
मणिपुर	16,777	84,152	1,01,100
मेघालय	53,686	1,16,910	44,332
मिजोरम	3,037	13,962	16,596
नागालैंड	16,164	50,319	25,324
ओडिशा	8,14,363	32,35,331	12,69,991
पांडिचेरी	509	5,436	9,700
पंजाब	90,233	4,91,732	7,02,011
राजस्थान	3,29,397	38,59,738	27,38,028
सिक्किम	2,763	6,576	4,456
तमिलनाडु	2,69,965	19,62,554	14,70,727
तेलंगाना	73,935	7,47,122	3,31,793
त्रिपुरा	1,05,116	1,12,082	66,305
उत्तर प्रदेश	16,81,620	95,12,137	63,09,310
उत्तराखंड	44,203	2,38,682	2,13,565
पश्चिम बंगाल	18,19,143	71,86,696	33,66,386

स्रोत: पीएसयूज़ ओएमसीज़ की ओर से आईओसीएल

वित्त वर्ष 2023-24

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	उन उपभोक्ताओं की संख्या जिन्होंने कोई रिफिल नहीं लिया	4 या उससे कम रिफिल लेने वाले उपभोक्ताओं की संख्या (शून्य को छोड़कर)	4 से ज़्यादा रिफ़िल लेने वाले उपभोक्ताओंकी संख्या
अंडमान और निकोबार	1,041	3,861	8,925
आंध्र प्रदेश	1,00,811	6,61,923	2,05,598
अरुणाचल प्रदेश	9,705	26,644	17,440
असम	12,80,551	26,49,114	11,62,406
बिहार	13,94,091	66,11,675	36,14,085
चंडीगढ़	99	1,434	492
छत्तीसगढ	12,62,743	20,66,264	4,56,190
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	449	8,257	9,106
दिल्ली	10,393	1,27,009	1,19,529
गोवा	72	1,401	483
गुजरात	3,45,994	20,86,768	18,71,932
हरियाणा	57,640	5,05,573	5,49,779
हिमाचल प्रदेश	14,450	82,758	53,629
जम्मू और कश्मीर	1,87,121	7,34,014	3,48,608
झारखंड	9,59,833	21,71,825	7,63,708
कर्नाटक	2,90,266	20,09,905	18,47,937
केरल	35,730	2,18,362	1,33,669
लद्दाख	2,311	6,033	2,745
लक्षद्वीप	24	218	123
मध्य प्रदेश	16,08,366	51,02,163	21,21,625
महाराष्ट्र	4,19,240	25,37,160	22,59,385
मणिपुर	27,925	1,00,046	97,028
मेघालय	67,288	2,02,367	46,969
मिजोरम	3,962	15,270	16,799
नागालैंड	19,909	74,023	28,267
ओडिशा	9,29,890	30,26,840	15,90,613
पांडिचेरी	1,029	7,366	10,927
पंजाब	93,622	4,97,839	7,68,244
राजस्थान	5,59,606	38,38,273	29,79,205
सिक्किम	1,870	13,205	4,836
तमिलनाडु	3,52,734	20,75,789	16,73,455
तेलंगाना	1,32,982	7,14,605	3,38,037
त्रिपुरा	1,21,223	1,24,810	69,429
उत्तर प्रदेश	15,21,472	92,62,968	78,08,038
उत्तराखंड	58,421	2,27,005	2,44,741
पश्चिम बंगाल	21,75,329	58,55,317	43,45,749

स्रोत: पीएसयूज़ ओएमसीज़ की ओर से आईओसीएल

निरंतर

वित्त वर्ष 2024-25

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	उन उपभोक्ताओं की संख्या जिन्होंने कोई रिफिल नहीं लिया	4 या उससे कम रिफिल लेने वाले उपभोक्ताओं की संख्या (शून्य को छोड़कर)	4 से ज़्यादा रिफ़िल लेने वाले उपभोक्ताओंकी संख्या
अंडमान और निकोबार	1,433	2,761	9,628
आंध्र प्रदेश	60,447	4,92,957	4,19,809
अरुणाचल प्रदेश	8,932	23,953	20,909
असम	14,88,148	20,20,475	15,88,721
बिहार	15,20,952	57,01,510	44,06,040
चंडीगढ़	43	471	1,514
छत्तीसगढ	12,32,813	18,57,783	7,10,766
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	660	6,639	10,492
दिल्ली	10,294	44,526	2,04,759
गोवा	84	1,088	783
गुजरात	2,92,156	16,97,250	23,18,839
हरियाणा	44,458	2,68,994	8,01,629
हिमाचल प्रदेश	14,541	71,706	64,445
जम्मू और कश्मीर	1,48,549	6,55,420	4,65,682
झारखंड	9,42,495	18,78,239	10,73,724
कर्नाटक	2,77,586	15,78,515	22,90,431
केरल	39,509	1,79,344	1,68,906
लद्दाख	752	5,279	5,054
लक्षद्वीप	22	250	98
मध्य प्रदेश	16,65,720	45,00,443	26,80,414
महाराष्ट्र	3,40,848	21,42,781	27,33,658
मणिपुर	20,576	1,00,004	1,04,336
मेघालय	92,539	1,56,070	68,546
मिजोरम	5,804	10,280	19,922
नागालैंड	24,140	52,010	45,988
ओडिशा	8,34,455	26,66,276	20,48,415
पांडिचेरी	1,004	4,913	14,284
पंजाब	1,21,114	4,46,633	7,91,509
राजस्थान	6,46,146	31,72,661	35,62,199
सिक्किम	3,131	8,017	8,724
तमिलनाडु	3,91,044	16,89,690	20,18,259
तेलंगाना	1,38,890	6,45,497	3,99,784
त्रिपुरा	1,30,407	88,510	97,494
उत्तर प्रदेश	18,27,825	75,42,583	92,23,346
उत्तराखंड	64,325	2,01,387	2,64,364
पश्चिम बंगाल	20,87,818	46,86,903	55,99,967

स्रोत: पीएसयूज़ ओएमसीज़ की ओर से आईओसीएल

वित्त वर्ष 2025-26

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	उन उपभोक्ताओं की संख्या जिन्होंने कोई रिफिल नहीं लिया	4 या उससे कम रिफिल लेने वाले उपभोक्ताओं की संख्या (शून्य को छोड़कर)	4 से ज़्यादा रिफ़िल लेने वाले उपभोक्ताओंकी संख्या
अंडमान और निकोबार	1,781	3,684	8,571
आंध्र प्रदेश	85,953	5,65,449	4,86,637
अरुणाचल प्रदेश	8,437	25,017	21,689
असम	16,14,634	18,34,844	18,06,214
बिहार	17,88,205	51,57,410	51,22,475
चंडीगढ़	124	372	1,541
छत्तीसगढ	14,35,318	17,11,532	8,28,906
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	579	8,322	10,022
दिल्ली	16,112	62,982	2,10,218
गोवा	93	1,047	907
गुजरात	2,86,887	15,95,665	25,20,034
हरियाणा	72,288	3,07,305	8,31,101
हिमाचल प्रदेश	18,236	70,377	63,743
जम्मू और कश्मीर	2,56,386	5,06,168	5,17,992
झारखंड	9,34,087	17,20,806	13,27,726
कर्नाटक	3,40,507	14,75,978	24,22,164
केरल	47,404	1,49,783	1,94,076
लद्दाख	729	4,108	6,244
लक्षद्वीप	19	183	168
मध्य प्रदेश	18,84,301	41,44,706	30,15,177
महाराष्ट्र	4,63,870	19,35,570	28,68,313
मणिपुर	25,256	86,422	1,17,465
मेघालय	1,15,364	1,24,012	84,834
मिजोरम	6,909	10,908	20,582
नागालैंड	26,615	54,865	50,807
ओडिशा	9,64,258	23,65,955	23,22,708
पांडिचेरी	1,337	5,116	14,807
पंजाब	1,68,393	4,17,307	7,75,821
राजस्थान	8,48,657	29,71,827	36,97,981
सिक्किम	2,800	7,210	10,083
तमिलनाडु	4,79,304	15,25,420	21,97,570
तेलंगाना	1,81,534	6,30,260	4,23,840
त्रिपुरा	1,26,984	92,930	1,13,704
उत्तर प्रदेश	20,62,682	69,46,625	99,70,961
उत्तराखंड	68,983	1,86,942	2,75,398
पश्चिम बंगाल	21,71,454	39,99,734	62,01,446

स्रोत: पीएसयूज़ ओएमसीज़ की ओर से आईओसीएल